

लोकतंत्र

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

मजबूत लोकतंत्र - सबकी भागीदारी

□ जनसंख्या मोर्चा

भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी। यह दिवस संपूर्ण देश में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तारतम्य में राज्य के 50 जिलों में 47,830 मतदान केन्द्रों पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इन समारोहों की मूल भावना "मजबूत लोकतंत्र-सबकी भागीदारी" है। मध्यप्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7.26 करोड़ है जिसमें पुरुष 3.76 करोड़ तथा महिला 3.50 करोड़ हैं। एक बड़ा राज्य होने के साथ-साथ इसका भौगोलिक क्षेत्र 1340 स्क्वायर कि. मी. है जिसमें 10 संभाग, 50 जिले, 342 तहसील, 313 विकासखण्ड, 29 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा 47,830 मतदान केन्द्र हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 4.07 करोड़ है। सम्पूर्ण भारत में वर्ष 2012 की निर्वाचक नामावली में 3.8 करोड़ नये मतदाता के नाम जोड़े गये जबकि मध्यप्रदेश में यह संख्या 26 लाख रही। भारत में 3.8 करोड़ नये जुड़े मतदाताओं में से 1.11 करोड़ 18-19 आयु वर्ग के हैं जबकि मध्यप्रदेश में यह संख्या 9 लाख है। इतने वृहद क्षेत्रफल में दूरस्थ अंचलों में यह मतदान

केन्द्र स्थापित हैं। अलग-अलग धर्म, वर्ग, जाति एवं समुदाय के लोगों को मतदाता दिवस पर यह आभास दिलाया गया कि उनका वोट तथा लोकतंत्र में उनकी भागीदारी अति महत्वपूर्ण है।

राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह राजधानी के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में राज्यपाल श्री रामनरेश यादव के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्य सचिव श्री अरवि वैश्य की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। राज्यपाल द्वारा उपस्थित नागरिकों को लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था एवं देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वागत उद्बोधन एवं समारोह की विषय-वस्तु पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने अवगत कराया कि 5 जनवरी, 2012 में प्रकाशित मतदाता सूची में 26 लाख नवीन मतदाताओं द्वारा अपना नाम दर्ज कराया गया है जो प्रदेश के

इतिहास में सबसे अधिक है। इनमें से 9 लाख मतदाता 18-19 आयु वर्ग के हैं। इससे मध्यप्रदेश में इस वर्ष कुल मतदाता 3.85 करोड़ से बढ़कर 4.07 करोड़ हो गये। 26 लाख नये मतदाताओं से इलेक्टर पापुलेखन रेशो 52 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। संक्षिप्त पुनरीक्षण 2011 में 5 जनवरी को प्रकाशित मतदाता सूची में केवल 1.5 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गये थे। वहीं चुनाव वर्ष 2008 की मतदाता सूची में 9 लाख मतदाताओं के नाम जुड़े थे।

इस सफलता का मुख्य कारण प्रथम बार बूथ लेवल अधिकारियों की स्थाई नियुक्ति तथा उनके द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की जांच करना रहा है। मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के दौरान 9.19 लाख अपात्र मतदाताओं के नाम भी सूची से काटे गये। इसके अतिरिक्त प्रथम बार मतदाताओं के अनुमानित लक्ष्य को जनसंख्या के आधार पर निर्धारण कर वीडियो कांफेंसिंग एवं सतत निरीक्षण से समीक्षा की जाकर पंजीकरण को बढ़ाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मतदाताओं को ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। सभी 50 जिलों के SVEEP प्लान भी बनाये गए तथा उसी आधार

पर मतदाता जागरूकता अभियान चला कर छूटे हुए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित किया गया। प्रचार-प्रसार हेतु जिंगल्स, हॉर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट्स एवं अन्य विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया गया। निर्वाचक नामावलिओं का नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में वाचन कराया गया।

युवाओं के लोकतंत्र में रुझान में कमी को देखते हुये SVEEP प्लान के तहत सभी शैक्षणिक संस्थाओं में प्राचार्य को नोडल ऑफिसर बनाया गया तथा नाम जोड़ने के फार्म उपलब्ध कराये गये। नोडल ऑफिसर को यह दायित्व सौंपा गया कि वह युवाओं को प्रेरित करें तथा मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने में सहयोग करें। उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थाएं जो एनएसएस की भी शाखाएं हैं, के माध्यम से भी युवाओं को मजबूत लोकतंत्र में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रेरणा दी गयी। जिन क्षेत्रों में लिंग अनुपात में भारी अंतर था वहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित कर पात्र महिला मतदाता का प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग लिया गया। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष कैम्प लगाये गये तथा प्रचार-प्रसार के विभिन्न साधनों का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाया जावेगा।

विधानसभा चुनाव के पूर्व 5 जनवरी, 2013 के लिये शेष रहे 40

लाख मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें 23 लाख मतदाता 18-19 आयु वर्ग के हैं। मतदाता जनसंख्या अनुपात के मान से प्रत्येक जिले में विधानसभा क्षेत्र से मतदान केन्द्र स्तर तक मतदाता जनसंख्या अनुपात, आयुवर्ग वार विश्लेषण, लिंग अनुपात, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों हेतु वृहद् सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाकर विशेष योजना तैयार की जा रही है। निर्वाचक नामावली को आगामी वर्ष और अधिक त्रुटिरहित इलेक्टर पापुलेशन रेशो को 61 प्रतिशत तक पहुंचाने की विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल द्वारा नए 5 मतदाताओं को प्रतीक स्वरूप पहचान-पत्र, राज्य स्तरीय निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यालयीन एवं महाविद्यालय के छात्रों को प्रशस्ति-पत्र एवं पुरस्कार वितरित किये गये।

मुख्य सचिव द्वारा अलीराजपुर, बड़वानी व सिंगरौली जिले में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में सर्वाधिक मतदाताओं के नाम जोड़ने और 100 प्रतिशत मतदाता फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली तैयार कराने में सहयोग हेतु बीएलओ को उत्कृष्ट कार्य करने के लिये प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये। इसके साथ ही राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालय व

महाविद्यालय के छात्रों को प्रशस्ति-पत्र एवं पुरस्कार वितरित किये गये।

राज्य में 26 जनवरी, 2012 गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रथम बार झांकी तैयार कर प्रदर्शित की गई। "मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी" की मूल भावना को प्रतिपादित करते हुए झांकी में मतदान के महत्त्व, आधुनिक तकनीकी प्रौद्योगिकी का चुनाव में उपयोग के ईव्हीएम से मतदान, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं पहचान-पत्र की अहम भूमिका के लिये मतदान केन्द्र पर बीएलओ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को प्रदर्शित किया गया। झांकी के अंतिम दृश्य में मतदाताओं की सुविधा के लिये हेल्पलाइन 1950 को दर्शाया गया ताकि आम नागरिक जागरूक होकर मजबूत लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये आगे आयें तथा आ रही कठिनाइयों का निराकरण कर सकें। उक्त झांकी से मतदाता जागरूकता अभियान में बड़ी सहायता मिली है।

मतदाताओं में लोकतंत्र के प्रति रुझान पैदा करने को राष्ट्रीय मतदाता दिवस में महामहिम राज्यपाल द्वारा सराहा गया। महामहिम द्वारा मतदाताओं से विशेष तौर से युवाओं से आवाहन किया कि वह मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाकर आगामी चुनावों में वोट देकर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें।

✽